



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्र.: 019/2018/विभागीय समिति का गठन/30/1145

दिनांक : 12. 12. 2018
13

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 के आलोक में भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग हेतु विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (डीएआईपी)/ Departmental Academic Integrity Panel (DAIP) का गठन निम्नानुसार किया जाता है -

क.	विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
ख.	कुलपति द्वारा नामित विभाग से इतर एक वरिष्ठ शिक्षाविद	प्रो. फरहद मलिक
ग.	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति।	डॉ. रविशंकर कातिलाल मोर अध्यक्ष, विधि विभाग यशवंत महाविद्यालय, वर्धा

बिंदु 'ख' तथा 'ग' के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों द्वारा होगी (अध्यक्ष सहित)।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ।
5. अध्यक्ष, भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग को संबंधित को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
6. परीक्षा विभाग।
7. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष।
9. प्रभारी, अकादमिक।
10. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
11. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
12. कार्यालय प्रति।

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत
P.O.- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India
वेब साइट/Website : www.hindivishwa.org